



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2013/श्रावण 7, 1935

No. 375]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2013/SRAVANA 7, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 511(अ).—केन्द्रीय सरकार, भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की अधिसूचना को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 30 मई, 2012 में सा.का.नि. 408(अ), तारीख 30 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. के-14011/5/2012-एमआरटीएस(कोर्ड)]

दीन दयाल, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2013

G.S.R. 511(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Urban Development, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 30th May, 2012 *vide* G.S.R. 408(E), dated the 30th May, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession.

[F. No. K-14011/5/2012-MRTS (Coord.)]

DEEN DAYAL, Under Secy.